प्रेस विज्ञप्ति

14.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एक बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में मैसर्स अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की पूर्व निदेशकों और समूह/सहायक/संबंधित कंपनियों से संबंधित 131.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियाँ,जिसमें करनाल और फरीदाबाद (हरियाणा) में स्थित विशाल भूमि पार्सल और नई दिल्ली और गुरुग्राम में आवासीय घर शामिल हैं, अनंतिम रूप से कुर्क की हैं।

ईडी ने मेसर्स अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, करण ए चनाना, सुश्री अनीता डिआंग, अनिल गुप्ता और अन्य पर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक हेराफेरी, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी आदि के द्वारा केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को 1201.85 करोड़ (लगभग) रुपये की हानि गलत तरीके से पहुँचाने के लिए सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपी संस्थाओं ने एक-दूसरे के साथ-साथ अन्य संबंधित / गैर-संबंधित संस्थाओं के साथ मिलकर अवैध रूप से बैंकों के संघ द्वारा स्वीकृत ऋण निधि को विभिन्न शेल संस्थाओं के खातों में वास्तविक व्यापारिक लेनदेन की आड़ में अवैध रूप से स्थानांतरित किया है।

इससे पहले, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और 1.01 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की।

आगे की जांच जारी है।